



न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह

वाद सं०-27 / 2023

कमला देवी

बनाम

पप्पु शर्मा वगैरह

(धारा-144 दं०प्र०सं०)

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तिथि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

20.03.2023

थाना प्रभारी, पचम्बा थाना के पत्रांक- आर-39/23 दिनांक 19.01.

2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्ष के विरुद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं०प्र०सं० की धारा-144(i) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की मांग की गई :-

भूमि की विवरण:-मौजा-लखारी, थाना-पचम्बा, जिला-गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं० 65 प्लॉट नं० 319 एवं 320 रकवा क्रमशः 17 डी० एवं 19 डी० तथा चौहदी -उ०-जी०एम० प्लॉट नं० 326 एवं 324 तथा रैयती प्लॉट नं० 321 द०-रैयती प्लॉट नं० 288 एवं 318 पू०-खतियानी जमीन मोती सिंह का वर्तमान गिरधारीलाल डालमिया। प०-सर्वे रास्ता।

उभय पक्ष द्वारा अपना-अपना कारण-पृच्छा एवं कागजात समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि वादगत भूमि खतियान में भैरो राय के नाम से दर्ज हुआ। भैरो राय के वंशज-भवन राय, कार्तिक राय, कमला देवी, शांति देवी, फुलवा देवी एवं जुगली देवी उक्त भूमि पर दखलकार हुए। प्रथम पक्ष संख्या 01 द्वारा भैरो राय के नाम से दाखिल-खारीज के उपरान्त सरकार द्वारा अद्यतन सरकारी लगान रसीद निर्गत किया गया है। इनका नाम पंजी-11 में दर्ज है। प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयती राईट के आधार पर दखलकार चले आ रहे हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष वैध कागजात के आधार पर उक्त जमीन पर दावा करते हैं, जबकि द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक/दखल नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी जमीन्दार को वादगत भूमि के सन्दर्भ में किसी सदस्य को कोई कागजात मुहैया करने का कोई अधिकार नहीं है। द्वितीय पक्ष के कागजात की वैधता निर्णय व्यवहार न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। प्रथम पक्ष के सदस्य प्रश्नगत भूमि पर दखलकार चले आ रहे हैं।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :-

1. खतियान।
2. पंजी-II
3. ऑनलाईन सरकारी लगान रसीद।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित प्लॉट नं० 319 (पार्ट) की जमीन का असली मालिक गिरधारी लाल डालमिया है, जो इनकी खरीदगी जमीन है, परन्तु इन्हें इस वाद में प्रथम पक्ष द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में यह वाद चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्य-पप्पु शर्मा एवं अजय राय प्लॉट नं० 319 की जमीन का मालिक नहीं है, बल्कि ये एक कोंट्रेक्टर/ठिकेदार है, जो उक्त जमीन के असली मालिक-गिरधारी लाल डालमिया की प्रश्नगत जमीन को चाहरदिवारी से घेरा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यों को इस वाद में गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। गिरधारी लाल डालमिया को विवादित प्लॉट नं० 320 की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त वादगत भूमि की चौहदी गलत है। इस परिस्थितियों में यह वाद चलने योग्य नहीं है। गिरधारी लाल डालमिया अपने ठिकेदार के माध्यम से प्लॉट नं० 320 की जमीन पर चाहरदिवारी न देकर अपनी जमीन पर पांच-छः फीट ऊँचा चाहरदिवारी खड़ा कर रहे हैं, परन्तु पूर्व में प्रथम पक्ष द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। जनवरी 2023 में प्रथम पक्ष द्वारा गलत आवेदन देकर अवैध रूप से द्वितीय पक्ष के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि खाता नं० 65 प्लॉट नं० 319 रकवा 17 डी० सहित अन्य खाता-प्लॉट की जमीन सर्वे खतियान में भैरो राय के नाम से "नौकराना" एवं लगाने पाने वाला भूतपूर्व जमींदार बंगाल कोल कम्पनी दर्ज हुआ। बी० एल० आर० एक्ट-1950 के अन्तर्गत नौकराना हक न तो हेरीटेबल होता है और न ही ट्रान्सफरेबल। नौकराना हक हासिल हुए व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त इसके वारीशान कभी भी उक्त सम्पत्ति को हेरीटेबल नहीं कर सकते। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा W.P (Cr) No 81/2017 बाघा धोबी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.08.18 को आदेश पारित किया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि खतियानी नौकराना होल्डर भैरो राय का पोता-वजीर राय ने प्लॉट नं० 319 रकवा 17 डी० सहित

अन्य जमीन बजरिए निबंधित इस्तिफानामा दिनांक 05.10.1944 को इस्तिफा दे दिया। बाद में उक्त 17 डी0 सहित अन्यकुल 2.84 एकड़ जमीन गुमस्ता बाबु किस्टो हरि पंडित ने वर्ष 1945 में कमला देवी के साथ बन्दोबस्त किया। कमला देवी पति-किस्टो हरि पंडित ने प्लॉट नं0 319 एवं 320 के अन्तर्गत 20 डी0 जमीन सहित अन्य कुल 2.84 डी0 जमीन बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 03.06.1953 को बाबु शिव सागर सिंह के साथ बिक्री की। शिव सागर सिंह के छः लडको के बीच उक्त जमीन का बंटवारे के उपरान्त प्लॉट नं0 319 के अन्तर्गत $11\frac{1}{4}$ डी0 खातानं0 47 प्लॉट नं0 328 एवं 380 के अन्तर्गत $10\frac{3}{4}$ डी0 जमीन सहित अन्य जमीन रामेश्वर सिंह के हिस्से में आवंटित हुआ। इनकी मृत्यु के उपरान्त इनका लडका-रामविलास सिंह ने उक्त प्लॉट नं0 319, 328 एवं 380 के अन्तर्गत कुल 22 डी0 जमीन बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 07.06.2006 को गिरधारी लाल डालमिया के साथ बिक्री किया, जिसपर ये दखलकार हुए एवं इसे चाहरदिवारी से घेरावा किए, जो अतिवृष्टि के कारण वर्ष 2022 के धवस्त हो गया। जिसे ठिकेदार/द्वितीय पक्ष के माध्यम से नया चाहरदिवारी का निर्माण करवाये। गिरधारी लाल डालमिया के नाम से दाखिल-खारीज के उपरान्त ये सरकार को लगान का भुगतान कर रहे हैं। गिरधारी लाल डालमिया ने तथाकथित वादगत भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :-


1. खतियान।
2. जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा विविध वाद संख्या 04/2018 राज्य बनाम बाघा धोबी में दिनांक 27.08.18 को पारित आदेश।
3. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा W.P (Cr) No 6129/2015 में दिनांक 13.08.2019 को पारित आदेश।
4. अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा वाद संख्या 172/2018 मुरारी लाल डालमिया बनाम अनुराग कुमार वगैरह में दिनांक 02.11.2020 को पारित आदेश।


5. इस्तिफानामा।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं का दलील सूना एवं अभिलेख के साथ संचित उभय पक्ष का कारण-पृच्छा तथा कागजात का सुक्ष्मावलोकन किया। बी० एल० आर० एक्ट-1950 के अन्तर्गत नौकराना हक न तो हेरीटेबल होता है और न ही ट्रान्सफरेबल। प्रथम पक्ष की सदस्या वादगत भूमि को खतियान के आधार पर दावा करती है, जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित प्लॉट नं० 319 (पार्ट) की जमीन का असली मालिक गिरधारी लाल डालमिया है, परन्तु इन्हें इस वाद में प्रथम पक्ष द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्लॉट नं० 319 की जमीन का मालिक नहीं है, बल्कि ये एक कान्ट्रेक्टर/ठिकेदार है, जो उक्त जमीन के असली मालिक-गिरधारी लाल डालमिया की प्रश्नगत भूमि को चाहरदिवारी से घेरावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यों को गलत रूप से इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। इस सन्दर्भ में द्वितीय पक्ष उपरोक्त कागजात की छायाप्रतियाँ समर्पित किया गया है। इस प्रकार आवश्यक पक्षकार के अभाव में यह वाद चलने योग्य नहीं है। गिरधारी लाल डालमिया को विवादित प्लॉट नं० 320 की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।